File No. FIN7-B/1/1/2022-XXVII-7-Finance Department (Computer No. 22807)

750872022

उत्तराखण्ड शासन वित्त (साठनि०-वे०आ०) अनुमाग-7 / XXVII(7)02/2016 देहरादूनः दिनांकः रामई. 2022

कार्यालय ज्ञाप

राज्य सिविल/पारिवारिक पॅशनर जिनकी छठवें/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Government of Uttarakhand Finance (G.R-P.C.) Section-7 /XXVII(7)02/2016 Dehradun: Dated: May, 2021

Grant of Dearness Subject: civil/family Relief State pensioners Government whose pension is not according recommendation of the 6th / 7th pay Commissions.

दिनांक 01-01-2022 से 368 प्रतिशत के स्थान पर 381 recommendation of the 6th / 7th pay Commissions . प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

तिदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन w.e.f. 01-01-2022 @ 381% instead of 368% छठवें/सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में superseding the earlier rates as is sanctioned vide पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को कित विमाग के कार्यालय ज्ञाप this Office Memorandum No. 327/XXVII (7)02/2016 संख्या—327 / XXVII(7)02/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 Dated 24 December, 2021 for those pensioners whose The Undersigned is directed to say that the द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिकमित करते हुए pension is not revised in accordance with the

यह आदेश माठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशॉ, 2. किया जाना अपेक्षित होगा।

These orders will not be applicable to the उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, judges of High Court, Chairman and Members of स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family स्थानाय निकाया तथा सोवजनिक उपक्रम आदि के Pensioners of local bodies and Public Undertaking सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके Pensioners of local bodies and Public Undertaking सम्बन्ध में सम्बन्धित विमागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत have to be issued by respective department.

These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विमाग के अधीन aided from State under the Education/Technical राज्य निषि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक Education Department whose Pension/Family Pension is एवं शिक्षणेतर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान at par with the pensioners of the State Government. पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर गी लागू होंगे। As per orders issued in O.M. No-A-1-

252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252 General Authority is not necessary for payment of relief /दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्मत of pension and as such the payment, of dearness relief as आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के गुगतान के admissible under, this O.M.

लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। Others terms and conditions regarding of अतः स्वीकृत मंत्रगाई राष्ट्रत का मुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप dearness relief laid down in earlier government orders के अधीन कर दिया जाय। shall remain applicable as usual.

गंहगाई राष्ट्रत रवीकृत करने के राम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनायेशों में निर्धारित थे, यथावत सागू रहेंगे।

(सीजन्या) सचिव।

(Sowjanya) Secretary.

(1)/XXVII(7)02/2018. तद्दिनांक। No (1) / XXVII(7)02/2016, above dated,

Copy forwarded to following for information and प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक necessary action:-कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ 2. सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विमाग / शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की स्थिति को दृष्टिगत रखते निकाय/ उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत. अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- 4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष. उत्तराखण्ड।
 - निदेशक. हकदारी, डालनवाला, देहरादून।
 - निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
 - 9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि क्पया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने 10. Director, NIC Dehradun. का कष्ट करें।
- 10. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरायून।

- 1. Accountant General Uttrakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- All Additional Chief Secretary/Principal Secretaries/Secretaries/Secretary Incharge, Govt. of Uttarakhand.
- Principle Secretary/Secretary, Pubic Industry Development Department/Urban Development, Govt, of Uttarakhandwith the request that the admisibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
- 4. All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
- 5. All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
- 6. Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand.
- 7. Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
- 8. All Chief/Scnior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- 9. Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Goyt. of Uttarakhand please.